सशक्त होती ग्रामीण महिलाएं

–समीरा सौरभ

पिछले दो दशकों में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के प्रयासों को केंद्र के अंतर्गत अधिक समग्र और तीव्र मिशन के रूप में समेकित किया गया और उन्हें मिशन 'पूर्ण शक्ति' के अंतर्गत समायोजित किया गया। यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे महिला–उन्मुख कार्यक्रमों के लिए एकल विंडो की व्यवस्था करता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने महिला सक्रियता को ऑनलाइन रूप में मजबूती प्रदान की है। डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाएं महिलाओं के लिए ई–लर्निंग (यानी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा) के अवसर प्रदान कर रही हैं और महिलाओं के लिए आय के साधन सृजित कर रही हैं।

विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे स्थायी विकास के लिए अपेक्षित रूपांतरकारी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक बदलावों को अंजाम देने में एक उत्प्रेरक भूमिका का निर्वाह करती हैं। किंतु उन्हें ऋण, स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा तक सीमित पहुंच सहित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक खाद्य और आर्थिक संकटों तथा जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं।

विश्वभर में कृषि श्रमिकों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को देखते हुए महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत, पारिवारिक और ग्रामीण समुदायों की खुशहाली के लिए बल्कि समग्र आर्थिक उत्पादकता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

हर रोज अनेक प्रकार की भूमिकाएं अदा करती हुई, महिलाएं निसंदेह समाज की रीढ़ हैं। परंतु, यह भी सही है कि दुनिया के अनेक भागों में वे समाज का उपेक्षित हिस्सा रही हैं। उनकी न्यायोचित और गरिमापूर्ण हैसियत बहाल करने के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण महिलाओं की अंतर्निहित शक्ति और आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए एक ठोस बुनियाद रखी जा सके। जीवन में प्रगति करने में एक प्रेरक के रूप में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसने सदियों से लगे प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए महिलाओं को एक वांछित मंच प्रदान किया है, जहां वे मुक्त होकर पुरुषों के समान विकास कर सकती हैं।

पिछले दो दशकों में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के प्रयासों को केंद्र के अंतर्गत अधिक समग्र और तीव्र मिशन के रूप में समेकित किया गया और उन्हें मिशन 'पूर्ण शक्ति' के अंतर्गत समायोजित किया गया। यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे महिला–उन्मुख कार्यक्रमों के लिए एकल विंडो की व्यवस्था करता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने महिला सक्रियता को ऑनलाइन रूप में मजबूती प्रदान की है। डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाएं महिलाओं के लिए ई–लर्निंग (यानी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा) के अवसर प्रदान कर रही हैं और महिलाओं के लिए आय के साधन सृजित कर रही हैं।

इस बीच, देश के भीतरी भागों में गुलाब गैंग (2013 की एक फिल्म, जिसमें एक महिला समर्थक सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करती है और शोषित महिलाओं के लिए एक मंच सृजित करती है) का वास्तविक संस्करण उपलब्ध है, जिसमें सामाजिक पक्षपातों और शोषण के विविध रूपों के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया गया है। इस आंदोलन ने अपनी कार्यसूची में बालिकाओं की शिक्षा को शामिल करते हुए अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है।

ग्रामीण महिलाएं हमेशा भारतीय समाज का एक उपेक्षित वर्ग रही हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि कार्यों में 86.1 प्रतिशत महिलाएं संलग्न हैं, जबकि इस व्यवसाय में पुरुषों की भागीदारी 74 प्रतिशत है। परंतु, महिलाओं को खेती में पारंगत बनाने के लिए

महिला ई–हाट की वेबसाइट पर ऑनलाईन बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुएं

कोई कौशल विकास कार्यक्रम शायद ही चलाया जा रहा हो। 7.1 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं विनिर्माण क्षेत्र में काम करती हैं, जबकि इस क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी 7 प्रतिशत है, यानी महिलाओं से कम है। अधिकतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी कम होती है। ग्रामीण पुरुषों को निर्माण, व्यापार, परिवहन, भंडारण और सेवाओं में काम करने के अवसर मिलते हैं, जबकि ग्रामीण महिलाएं इन क्षेत्रों में काम करने से वंचित रहती हैं। स्वाभाविक है कि उनके लिए कौशल अर्जित करने के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि वे इन नए उभरते हुए व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य कौशल अर्जित कर सकें। अधिसंख्य ग्रामीण महिलाएं न केवल आर्थिक गरीबी का सामना करती हैं बल्कि उन्हें सूचना के अभाव की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादक श्रमिक हैं। विकास में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका का आकलन करने में सांख्यिकीय पक्षपात किया जाता है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक घंटों तक काम करती हैं और परिवार की आय को स्थिरता प्रदान करने में योगदान करती हैं, लेकिन उन्हें उत्पादक श्रमिक नहीं समझा जाता है (पंकजम और ललिता, 2005)।

समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत विश्वभर में लिंग समानता आंदोलन के महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। देश के ग्रामीण हिस्सों में वेतन असमानताएं हमेशा प्रचलित रही हैं, परंतु कुछ गतिविधियों के क्षेत्र में यह अंतराल बहुत अधिक है। वर्ष 2004–05 के अंत में जुताई जैसे कार्यों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को 70 प्रतिशत अधिक वेतन मिल रहा था, मार्च, 2012 के अंत में यह अंतराल बढ़ कर 80.4 प्रतिशत और 2013–14 के प्रारंभ में बढ़ कर 93.6 प्रतिशत हो गया। कुआं खोदने के कार्य में मार्च 2005 में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक पारिश्रमिक दिया जा रहा था। यह अंतर 2013–14 में बढ़ कर करीब 80 प्रतिशत हो गया। आंकड़ों से पता चलता है कि 1999 तक दिहाड़ी में अंतर कुल मिलाकर स्थिर था। हालांकि 2000 के दशक के प्रारंभ में उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। 2013 में यह देखा गया कि बुआई और जुताई जैसी गहन शारीरिक गतिविधियों में महिलाओं को अदा की जाने वाली दिहाड़ी मे भेदभाव बहुत अधिक था। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में "महिलाओं की स्थिति को देखकर आप उस राष्ट्र की स्थिति के बारे में बता सकते हैं।"

ग्रामीण भारत में गिनी–चुनी महिलाओं का स्वामित्व भूमि अथवा उत्पादक परिसंपत्तियों पर होता है। इससे उन्हें बैंक आदि संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आती है। अधिसंख्य कृषि श्रमिक महिलाएं हैं और उन्हें मुख्य रूप से शारीरिक श्रम के कार्य सौंपे जाते हैं। पुरुष ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं, जिनमें मशीनरी शामिल होती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं के 'स्वयंसहायता और बचत समूहों' में वृद्धि हो रही है और उनकी कार्यक्षमता सराहनीय है। परंतु, उन्हें कोई बाहरी वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है ताकि वे इन समूहों का शुभारंभ और संचालन कर सकें। महिलाओं की जमाराशियां बढ़ी हैं और निकटवर्ती ग्रामीण बैंकों में जमा हैं। बैंक उनकी नियमितता और स्पष्ट लेखा विधि की सराहना करते हैं। महिला सदस्यों को ऐसे प्रयोजनों के लिए धन निष्कासित करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, जो अधिक धन से उत्पादक बनाए जा सकते हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था : "यदि आप एक पुरुष को शिक्षित बनाते हैं, तो एक व्यक्ति को शिक्षित बनाते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित बनाते हैं, तो एक परिवार को शिक्षित बनाते हैं"। भारत के संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार देश में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सरकार सर्वशिक्षा अभियान (जिसका लक्ष्य उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है) जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाने के प्रयास कर रही है। महिलाओं को शिक्षित बनाने में धन हमेशा रूकावट नहीं बनता है और यह कार्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहता है। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा को मील का पत्थर समझा जाता है, क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है, अपनी परंपरागत भूमिका से संघर्ष करने तथा अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद करती है। शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ने के बावजूद भारत में लिंग भेदभाव बने हुए हैं और देश में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। महिलाओं में व्यापक संभावनाएं एवं क्षमता है, जिसका पूर्ण इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है। शिक्षा मानव विकास का निवेश और उत्पादन दोनों है, अतः शैक्षिक समानता से उद्यमिता विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता का स्तर 65.46 प्रतिशत था, जबकि पुरुषों की साक्षरता 80 प्रतिशत से अधिक थी। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जब महिलाओं की साक्षरता मात्र 8 प्रतिशत थी, लेकिन बढ़ती आबादी की गति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए महिलाओं की शिक्षा का स्तर पर्याप्त नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 4.5 प्रतिशत पुरुष और 2.2 प्रतिशत महिलाएं स्नात्तक और उससे अधिक स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 17 प्रतिशत पुरुष और 13 प्रतिशत महिलाएं यह लक्ष्य पूरा करती हैं।

ये ब्यौरे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 71वें दौर से लिए गए हैं; जो जनवरी से जून, 2014 की अवधि में कराया गया था और उसका विषय था – 'सामाजिक उपभोग – शिक्षा'। इस सर्वेक्षण में समूचे देश को कवर किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,577 गांवों के 36,479 परिवारों से तथा शहरी क्षेत्रों में 3,720 शहरी ब्लॉकों के 29,477 परिवारों से नमूने लिए गए थे। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार देश में 7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के समूह में साक्षरता दर 75 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 71 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में शहरी क्षेत्रों में यह 86 प्रतिशत थी। साक्षरता से परे जाकर शिक्षा महिला अधिकारों, उनकी गरिमा और सुरक्षा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकती है।

महिला सशक्तिकरण में महिला शिक्षा की आवश्यकता

महिला सशक्तिकरण की धारणा एक अद्यतन विचार है। नई सहस्राब्दि के प्रथम वर्ष 2001 को "महिला सशक्तिकरण वर्ष" घोषित किया गया था। महिलाओं की शिक्षा एक बेहतर परिवार के निर्माण में मदद करती है और अंततः एक आदर्श समाज और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में योगदान करती है। यूनेस्को के नए आंकड़ों से पता चलता है कि शिक्षा विकास में रूपांतरित होती है। इसमें कहा गया है कि :

- यदि सभी बच्चों की शिक्षा तक समान पहुंच होगी, तो अगले 40 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 23 प्रतिशत का इजाफा होगा।
- यदि सभी महिलाएं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं, तो बाल–विवाह और बच्चों की मृत्युदर में छठे भाग के समान और प्रसूति मौतों में दो तिहाई कमी लाई जा सकती है।

यूनेस्को के नए विश्लेषण से पता चलता है कि :

- **महिलाओं को सशक्त करती है शिक्षा :** शिक्षित लड़कियों और युवतियों से यह उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी अधिक होगी और उनमें अधिकारों का दावा करने का आत्मविश्वास भी अधिक होगा।
- **शिक्षा से समरसता को प्रोत्साहन :** शिक्षा लोगों में लोकतंत्र की समझ विकसित करने, सहिष्णुता और उसमें निहित विश्वास को बढ़ावा देती है तथा लोगों को अपने समुदायों की राजनीतिक जिंदगी में भागीदारी अदा करने के लिए प्रेरित करती है।

- **शैक्षिक समानता से रोजगार के अवसरों में सुधार और आर्थिक विकास में वृद्धि :** यदि सभी बच्चों की शिक्षा तक समान पहुंच होगी, तो उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि होगी, जिसका अनुकूल प्रभाव आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। अगले 40 वर्षों में उन देशों में प्रति व्यक्ति आय में 23 प्रतिशत इजाफा होगा, जिनमें शिक्षा की दृष्टि से समानता होगी।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

अनिवार्य मानव संसाधन के रूप में महिलाओं के महत्व को भारत के संविधान में मान्यता दी गई, जिनमें न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा दिया गया, बल्कि सरकार द्वारा उनके सशक्तिकरण की भी बात कही गई। संविधान के अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं, जो महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास और निर्णय करने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किए जाने से संबंधित हैं। ये हैं :

- अनुच्छेद 14 के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार और अवसर हैं।
- अनुच्छेद 15(1) धर्म, नस्ल, लिंग, जाति आदि आधारों पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही है।
- अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि सभी नागरिकों के लिए सरकारी नियुक्तियों के मामले में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- अनुच्छेद 39(घ) पुरुष और महिला दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद 42 के अनुसार सरकार कार्यस्थल पर न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करेगी तथा प्रसूति लाभ की व्यवस्था करेगी।

सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कानून भी बनाए हैं। ये हैं :

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान करता है।
- दहेज निवारण अधिनियम, 1961, जो दहेज लेने को अवैध गतिविधि करार देता है और इस तरह महिलाओं के शोषण की रोकथाम करता है।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जो समान मूल्य के काम के लिए पुरुषों के समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अधार पर गर्भपात को किसी महिला के कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1983, जिसका लक्ष्य महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराधों की रोकथाम करना है।
- महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतिकरण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1986, जो समाचार–पत्रों, सिनेमा, टेलीविजन आदि मीडिया मंचों पर महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर रोक लगाता है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 जो परिवार में होने वाली किसी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत महिला अधिकारों के कारगर संरक्षण का प्रावधान करता है।

भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय किए हैं, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं :

आजीविका कौशल : ग्रामीण निर्धन युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जून, 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। एनआरएलएम के अंतर्गत एक उप–मिशन के रूप में आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (एएसडीपी) शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का विकास ऐसे ग्रामीण युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है, जो निर्धन हैं और अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं।

एएसडीपी निर्धन समुदायों के युवाओं को कौशल–उन्नत बनाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे कुशल श्रमिकों में शामिल होते हुए अर्थव्यवस्था के विकासमान क्षेत्रों में योगदान कर सकते हैं। प्रशिक्षण और रोजगार के कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर–सरकारी और सामुदायिक संगठनों की भागीदारी के साथ संचालित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उद्योग, संगठनों और नियोक्ताओं के साथ सुदृढ़ संबंध विकसित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2017 तक असंगठित क्षेत्र में 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।

महत्वपूर्ण विशेषताएं

- ग्राहक की जरूरत के अनुसार आवासीय और गैर–आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।
- व्यवसाय संबंधी कौशल, आईटी और साफ्ट स्किल्स के बारे में न्यूनतम 624 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- इसके अंतर्गत जम्मू–कश्मीर, अल्पसंख्यक समुदायों और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित चिंताजनक जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों की देखरेख में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसमें न्यूनतम दिहाड़ी पर 75 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को सुनिश्चित प्लेसमेंट।
- नियुक्ति परवर्ती सहायता
- प्रशिक्षण के दौरान भोजन और परिवहन सहायता प्रदान की जाती है।

महिला ई–हाट :– (1) महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल महिला ई–हाट

का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल पर 10,000 स्वयं–सहायता समूहों के अंतर्गत 1,25,000 लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। पोर्टल की स्थापना राष्ट्रीय महिला कोष से 10 लाख रुपये के निवेश से की गई है। यह कोष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जो महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करता है। विक्रेता अपने उत्पादों को पोर्टल के प्लेटफार्म पर पंजीकृत कर सकते हैं, जिसके लिए कोई लिस्टिंग शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

पंजीकरण के लिए एकमात्र पात्रता मानदंड यह है कि विक्रेता महिला हो अथवा किसी स्वयंसहायता समूह की महिला सदस्य हो और उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो। यह प्रावधान बाल मजदूरी की समस्या समाप्त करने के लिए रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी विक्रेताओं को अपने उत्पादों पर महिला ई–हाट का लोगो प्रदर्शित करना होगा। इंडिया पोस्ट के साथ किए गए अनुबंध से महिला उत्पाद विक्रेताओं को लदान प्रयोजनों के लिए निकटवर्ती डाकघर का पता लगाने में मदद मिलती है। उद्यमी इंडिया पोस्ट के साथ एक क्रेता अनुबंध भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें बल्क खेपों पर डिस्काउंट पाने में मदद मिलेगी।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप) : यह कार्यक्रम 16 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए देशभर में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान राज्यों/संघशासित प्रदेशों को न देकर गैर–सरकारी संगठन सहित किसी संस्थान/संगठन को सीधे प्रदान किया जाता है। स्टेप कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार सक्षमता और उद्यमशीलता बढ़ाने से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, टेलरिंग, स्टिचिंग, कशीदाकारी, जरी आदि क्षेत्रों के लिए प्रदान की जाती है, लेकिन मात्र इन्हीं तक सीमित नहीं है। हस्तशिल्प, कम्प्यूटर और सॉफ्ट स्किल्स सहित आईटी सक्षम सेवाएं एवं इंग्लिश स्पीकिंग जैसे कार्यस्थल संबंधी कौशलों, रत्न एवं आभूषण, यात्रा एवं पर्यटन, आतिथ्य जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं।

कामकाजी महिलाओं के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन कार्यक्रम :– सरकार महिलाओं की शिक्षा और रोजगार को स्थिरता प्रदान करने के उपाय करती है। नतीजतन महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और अधिकाधिक महिलाएं लाभकारी रोजगार में संलग्न हैं, जो अपने घरों में या घर से बाहर जाकर काम करती हैं। बढ़ते औद्योगिकरण और शहरी विकास के कारण शहरों में प्रवास में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दशकों में एकल परिवारों में वृद्धि हुई है और संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ है। अतः कामकाजी महिलाएं जो पहले अपने मित्रों और संबंधियों से मदद लेती थीं, अब उन्हें ऐसी देखभाल सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जो बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल और संरक्षण प्रदान कर सकें।

छोटे बच्चों के लिए ऐसी प्रभावकारी डे–केयर सुविधा अनिवार्य है, जो लागत की दृष्टि से किफायती निवेश हो, क्योंकि इससे माताओं और छोटे बच्चों, दोनों को सहायता मिलती है। समुचित डे–केयर सेवाओं में अभाव के कारण अक्सर महिलाओं को बाहर निकलने और काम पर जाने में रूकावट पैदा होती है, अतः संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सभी सामाजिक–आर्थिक समूहों की कामकाजी महिलाओं के लिए डे–केयर सेवाओं/शिशु सदनों की गुणवत्ता में सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता है। संगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाएं अपने नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई डे–केयर सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं, जो विभिन्न कानूनों (फैक्टरीज़ अधिनियम 1948, माइंस एक्ट 1952, बागान अधिनियम, 1951, अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1980 और मनरेगा, 2005 आदि डे–केयर के प्रावधान को अनिवार्य बनाते हैं) के तहत उन्हें प्रदान की जाती हैं। दूसरी तरफ, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के बच्चों की जरूरतें अभी भी बड़े पैमाने पर नजरअंदाज की जाती है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय महिला नीति 2001 और बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना 2005 में भी बाल देखरेख सेवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए महिला एवं बाल अधिकार एजेंसी की संचालन समिति ने अनुशंसा की है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाए और उन्हें आंगनवाड़ी एवं शिशु सदनों में तब्दील किया जाए और/या कानूनों में संशोधन किया जाए, विभिन्न लचीले मॉडलों के विकल्प अपनाए जाएं और आरजीएनसीएस की प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाए। इस तरह अगली पंचवर्षीय योजना में अग्रसारित करने के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे, जिनका परीक्षण किया जा सकता है और उन्हें अगली पंचवर्षीय योजना के लिए अग्रसारित किया जा सकता है, ताकि बच्चों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए समुदाय–आधारित सुरक्षित और पालन–पोषण के उपयुक्त स्थल प्रदान किए जा सकें। संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य देश में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शैशव में देखभाल सेवाओं पर महत्वपूर्ण असर डालना है।

निष्कर्ष

महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य है। ऐसा करना न केवल व्यक्ति, परिवारों और ग्रामीण समुदायों की खुशहाली के लिए आवश्यक है, बल्कि समग्र आर्थिक उत्पादकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। विशेषकर, इसे देखते हुए कि विश्वभर में कृषि श्रमिकों में महिलाओं की व्यापक मौजूदगी है।

(लेखिका भारत सरकार के गृह मंत्रालय में निदेशक हैं।)
ईमेल sameera.saurabh@gmail.com